न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः- अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)

राजस्व मूल वाद संख्याः-(29/2024) 472/2025

जीसीएमएस नम्बर :-(2024/01804) 2025/697

1- लादू लाल पुत्र श्री रामनिवास जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

2- मंजु पुत्री श्री रामनारायण जेथलिया पत्नि श्री राजेन्द्र समदानी उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

----वादीगण

-: बनाम :-

1. जगदीश पुत्र श्री रामस्वरूप जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
2. रमेश पुत्र श्री रामस्वरूप जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
3. बालकिशन पुत्र श्री रामस्वरूप जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
4. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार, भीलवाड़ा।

---- प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

उपस्थितः-

1- श्री अमित कोठारी अभिभाषक वादीगण

2- श्री सूर्यप्रकाश अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

-: निर्णय :- दिनांक 11/9/25

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 07.02.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष एक दावा बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया जो दिनांक 12.02.2024 को वाद संख्या 29/2024 बउनवानी लादूलाल वगैरह बनाम जगदीश वगैरह दर्ज रजिस्टर किया गया तथा उक्त पत्रावली इस इस न्यायालय को प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई।

बाद तामील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 20.03.2024 को एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया कि– दावाकर्ताओं द्वारा पेश दावा "पूर्णतया चतुर लेखन (Clever Drafting) का इस्तेमाल कर पेश किया गया है। वादपत्र के कथन भ्रमपूर्ण, भ्रामक, अर्थहीन होकर कार्यवाही का भ्रममात्र पैदा करते है। दावा जिस दस्तावेज के हवाले से लाया गया है अर्थात तथाकथित रजिस्ट्री दिनाक 06.12.1958/11.12.1958 दावाकर्ताओं के 5 पीढी के "मौरूष" को पता नहीं हो, यह नितान्त असम्भव है। दिनाक 04.02.2024 को जानकारी होना बताकर माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए "अवधि पार" दावे को अवधि में बताया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित "दहीबेन" वाद में पारित सिद्धान्तों के आधार पर दावा खारिज योग्य है। (Page-26)

दावाकर्ताओं द्वारा स्वयं पेश सजरा अनुसार वे 5/6 वीं पीढी के वारिसान है। वारिसान का निर्णय करने का अधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। दावाकर्ताओं द्वारा अपूर्ण, असत्यापित एवं जानबूझकर आवश्यक पक्षकारों का संयोजन किये बगैर दावा पेश किया गया है जिसमें विशेषकर रामस्वरूप जी (फौत) जो खातेदार काश्तकार है, उनकी वारिसान पुत्रीयों को ही यथा चन्द्रकान्ता, आशा, प्रेम को शामिल नहीं किया गया है। दावा खारिज योग्य है।

दावाकर्ताओं का जवाबदेही पक्षकारों के विरूद्ध कोई कार्यवाही का कारण एवं वाद कारण ही उत्पन्न नहीं होता है। मनमकसूद तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है। दावा खारिज योग्य है।

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

जवाबदेही पक्षकार ना तो खातेदार काश्तकार है, ना ही उन्होंने तथाकथित तौर दिनांक 04.02.2024 को कोई जबरन कब्जा' या विक्रय करने का प्रयास किया है। न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है।

"जबरन कब्जे का प्रयास बताना भी गैर विधिक है, क्योंकि सामलाती खसरा होना एवं स्व. रामस्वरूप जी का 1/3 हिस्सा होना वाद के अभिवचनों एवं दस्तावेजों से स्वतः साबित है। कानून का स्पष्ट सिद्धान्त है Those who comes for equity, must come with clean hands. दावा बेबुनियादी तथ्यों पर आधारित होकर बोगस वाद है। दावा खारिज योग्य है।

तथाकथित रजिस्ट्री दिनांक 06.12.1958/11.12.1958 को "भरपावा' करते हुए दिनांक 14.02.1959 को ही निरस्त करवा दिया गया था। इसी कारण से पिछली पांच पीढियों द्वारा जमाबंदी में परिवर्तन नहीं कराया जा सका जो स्वतः प्रमाणित है। दावा खारिज योग्य है।

रजिस्ट्री जिस खसरा सं./आराजी नं. 572 की करवायी गयी, ऐसा कोई खसरा स्व. कन्हैयालाल जी के नाम पर विद्यमान ही नहीं था। उक्त रजिस्ट्री में कहीं भी वर्तमान खातेदार स्व. रामस्वरूप जी के हस्ताक्षर नहीं हुए। अतः उनके हक हकुक, अधिकारों की सम्पति, जिस पर उनका कब्जा लगातार सामलाती तौर बना रहा, उस पर 66 वर्ष पश्चात पेश दावा लिमिटेशन्स पर खारिज योग्य है। धारा 63 (1) (iv) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में भी दावा खारिज योग्य है। 12 वर्ष अवधि है।

दावाकर्ताओं द्वारा तथाकथित रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.07.2016 को लिया जाना साबित है जिसको 3 वर्ष में ही चुनौती दी जा सकती थी. दावा खारिज योग्य है।

आवेदन न्यायहित में स्वीकार किया जावे। धारा 151 सीपीसी के अधिकारों का प्रयोग न्यायहित में किया जावे।

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का जवाब दिनांक 08.04. 2024 को प्रस्तुत कर इस आशय का कथन किया गया कि– कलम संख्या 01 प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जिस कदर लिखी, स्वीकार नहीं और उत्तर है कि उक्त तथ्य वादी ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकन

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

किये है। वादी का उक्त कलम मे आदेश 07 नियम 11 के तहत यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना किसी कदर पोषणीय न हो काबिल निरस्तगी के है।

कलम संख्या 02 प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जिस कदर लिखी, स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है । विवादित आराजियात के बाबत् वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान् को ही है, तथा वादी ने सभी आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। इसके उपरान्त भी मात्र आवश्यक पक्षकार के आभाव में आदेश 07 नियम 11 किसी भी तरह से लागू नहीं होती है।

कलम संख्या 03 प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जिस कदर लिखी स्वीकार नहीं ,सर्वथा गलत है । वादी ने अपने वादपत्र की कलम संख्या 07 में वाद हेतुक का स्पष्ट तौर से वर्णन किया है। इस आधार पर प्रतिवादी का यह प्रार्थनापत्र किसी कदर पोषणीय न हो, काबिल निरस्तगी के है।

कलम संख्या 04 प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 01 व 03 जिस कदर लिखी, स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। वादी ने उक्त वादपत्र रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा का प्रस्तुत किया है। जिसका श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान् को ही हैं । इस प्रकार प्रतिवादी ने मात्र उल जुल तथ्य लिख यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो विधि के तहत पोषणीय न हो काबिल निरस्तगी के है।

कलम संख्या 05 लगायत 08 प्रार्थनापत्र प्रतिवादी संख्या 01 व 03 जिस कदर लिखी, स्वीकार नहीं, सर्वथा गलत है। वादी ने उक्त वादपत्र रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार पर खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत किसी भी प्रकार से समय बाधित का कोई वर्णन नही है अर्थात लिमिटेशन एक्ट राजस्थान टिनेन्सी एक्ट पर लागू नहीं होती है। इस आधार पर वादी का यह प्रार्थनापत्र पोषणीय न हो, काबिल निरस्तगी के है।

अतः प्रार्थना है कि वादी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने का आदेश बक्षाया जावे।

उभय पक्षकारान् की बहस सुनी गई।

11/9/25
सहायक कलक्टर

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो व प्रस्तुत निर्णय नजीरो में प्रतिपादित सिद्धान्तो के आधार पर वादीगण का दावा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 से बाधित/प्रभावित है, धारा 151 सी0पी0सी0 की शक्तियो का प्रयोग करते हुए वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज करने का निवेदन किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये गये।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण ने अपनी लिखित बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि वाद पत्र एवं वाद पत्र के साथ पेश दस्तावेजो के आधार पर आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 का आवेदन निर्णीत किया जाता है-किन्तु माननीय न्यायालय को Abuse of Process of Court की अवस्था में End of justice के लिए साथ ही आवेदन सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 में पेश किये जाने पर-स्थापित न्यायिक परम्परानुसार व्यापक अधिकार प्राप्त है।

दावा प्रपत्र में वर्णित है- साथ ही पेश दस्तावेज से साबित है कि ''रजिस्ट्री'' (तथाकथित) दिनांक 06.12.1958/11.12.1958 की है-रजिस्टर्ड दस्तावेज-सार्वजनिक दस्तावेज माने जाते है। लिमिटेशन गणना वहीं से होगी। वादीगण का दावा-प्रपत्र पैरा संख्या-07 का कथन ''यह कि दिनांक 04.02.2024 को विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 कब्जा तब प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई।''

उपरोक्त कथन- ''चतुर लेखन तो है ही, माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए मनगढन्त कहानी बताकर झूठे शपथ पत्र पर दावापेश होकर वादीगण आपराधिक अवमानना के दोषी है।

''दस्तावेजी साक्ष्य'' रजिस्ट्री वर्ष-1958 है-वादीगण की पिछली 05 पीढी के मौरूष उक्त आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने अथवा कब्जा लेने हेतु क्यों असमर्थ रहे? इस बाबत् दावा प्रपत्र में कुछ भी उल्लिखित नहीं होने से- Suit is hopelessly time barred. 1958 के तथाकथित दस्तावेज के आधार पर 2024 में ''चतुर लेखनी'' के प्रयोग पर पेश दावा-66 वर्ष की अवधि पश्चात पेश होकर भारी कॉस्ट लगाकर खारिज योग्य है। आवेदन 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य है।

तथाकथित तौर वर्णित रजिस्ट्री 14.02.1959 को ''भरपावा'' होकर स्वतः शुन्य हो गई, निष्प्रभावी कर दी गई जो दस्तावेज में वर्णित है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

यही कारण रहा कि वादीगण के पिछली 05 पीढ़ियां 66 वर्षो में उक्त नामान्तरकरण/स्वामित्व के लिए नहीं गई।

लालच एवं मजबूरी एक बदनियति ने वादीगण को यह दावा पेश करने को बाध्य किया है क्योंकि वह स्वयं की जमीन बचाकर भाई-बहिनो की जमीन पर बेजा हक जताकर खुद के लिए कैनरा बैंक के लाखो रूपये के ऋण (एन.पी.ए.) को चुकाना चाहते है-जिसके लिए न्यायालय श्रीमान् को तथ्य छिपाकर दावा पेश किया गया है।

वादीगण ने पुनः दस्तावेजी साक्ष्य जो उन्हें प्रमाणित प्रति के आवेदन पत्र पर-सरकारी मोहर पर दिनांक 11.07.2016 को ही प्राप्त हो गये थे, साथ ही वर्षो पूर्व 2005-06 से ही सामलाती खसरा होने का फायदा उठाकर बिना किसी स्वामित्व के मिलाभगती एवं षडयन्त्रपूर्वक समस्त जानकारी लम्बे समय से की ये विपक्षी पक्षकारो की पीढी दर पीढी चली आ रही जायदाद को हड़प करने हेतु खुर्दबुर्द करने हेतु ना सिर्फ बैंक के नाम रहन दर्ज करवा दिया बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य का अभिन्न हिस्सा जिस पर दिनांक 11.07.2016 की प्राप्ति तिथि अंकित थी, जिस पर स्वयं वादी के हस्ताक्षर अंकित है, को न्यायालय के समक्ष पेश ना करके आपराधिक षडयन्त्र के तहत दस्तावेजो में हेराफेरी के साबितन दोषी है। न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग साबित है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

दावा Doctrine of Clean Hands के उल्लंघन में पेश है। आवेदन स्वीकार योग्य है। दावा धारा 63(1) (iv) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट से प्रभावित है।

वर्ष 1958 के तथाकथित दस्तावेज खसरा नम्बर 572 वर्णित करते है जबकि दावा प्रपत्र खसरा नम्बर 57 वर्णित करता है। 66 वर्ष पूर्व होने से परित्यक्त सम्पत्ति होने से दावा सव्यय निरस्तगी योग्य है। किसी भी प्रकार का LIS वादी-प्रतिवादीगणो के बीच नहीं माना जा सकता है। LIS के अभाव में दावा खारिज होने योग्य है।

दावाकर्ताओं को सम्पूर्ण आचरण- आपराधिक प्रवृति का होना- दस्तावेजी साक्ष्यो से साबित है। आवश्यक पक्षकारो जिसमें प्रतिवादीगणो की 3 बहिने शामिल है, का संयोजन भी सोची समझी साजिश के तहत नहीं किया है।

साथ ही प्रतिवादीगणो के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण आवेदन संख्या 2024/48876/6 को पटवारी से मिलाभगती कर रिकार्ड से ही हटवा दिया ताकि धोखाधड़ी आसानी से संभव हो सके।

1/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

साथ ही दावे में एकतरफा स्थगन लेकर नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं होने दी जा रही है। वारिसान को निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार सिविल कोर्ट को है।

अतः उपरोक्त तथ्यो एवं आवेदन में वर्णित पूर्व तथ्यो एवं न्यायिक निर्णय जो पेश है, उनकी पालना में आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करे-धारा 151 का उपयोग भी अपेक्षित है, पृथक-पृथक न्याय निर्णय संलग्न है। दावा भारी कोस्ट से खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय एस0बी0 सिविल प्रथम अपील नम्बर 146/2021 ब्रिजमोहन व अन्य बनाम रामेश्वर व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि Thus, it is trite that when they application was filed under Order 7 Rule 11(d) readwith Section 151 CPC, which did not fall within the scope of Order 7 Rule 11 CPC, the Court can reject the same while exercising the power under Section 151 CPC.

Taking into consideration the aforesaid facts and circumstances of the case, in my openion it was a fit case to reject the plaint and the trial Court was right in rejecting the plaint under Order 7 Rule 11 readwith Section 151 CPC.

न्यायिक निर्णय सिविल अपील नम्बर 14807/2024 SHRI MUKUND BHAVAN TRUST AND ORS V/s SHRIMANT CHHATRAPATI UDAYAN RAJE PRATAPSINGH MAHARAJ BHONSLE AND ANOTHER में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि However, in cases like this, where it is glaring from the plaint averments that the suit is hopelesaly barred by limitation, the Courts should not be hesitant in granting the relief and drive the parties back to the trial Court. We again place it on record that this is not a case where any forgery of fabrication is committed which had recently come to the knowledge of the plaintiff.

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Rather, the plaintiff and his predecessors did not take any steps to assert their title and rights in time. The alleged cause of action is also found to be creation of fiction. However, the trial Court erroneously dismissed the application filed by the appellants under Order vii Rule 11(d) of CPC. The High Court also erred in affirming the same, keeping the question of limitation open to the considered by the trial Court after considering the evidence along with other issues, without deciding the core issue on the basis of the averments made by the Respondent No.1 in the plaint as mandated by Order vii Rule 11(d) of CPC. The spirit and intention of Order vii Rule 11(d) of CPC is only for the Courts to nip at its bud when any litigation ex facie appears to be a clear abuse of process.The Courts by being reluctant only cause more harm to the defendants by forcing them to undergo the ordeal of leading evidence. Therefore, we hold that the plaint is liable to be rejected at the thereshold.

न्यायिक निर्णय सिविल अपील नम्बर 9519/2019 दहीबेन बनाम अरविन्द भाई कल्याणजी भंसाली मृतक के वारिसान व अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि The Transaction having been executed through a registered document was in the public domain, and in the knowledge of the plaintiffs right from the beginning.

The remedy under Order vii Rule 11 is an independent and special remedy, wherein the Court is empowered to summarily dismiss a suit at the threshold, without proceeding to record evidence, and conducting a trial, on the basis of the evidence adduced. if it is

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

satisfied that the action should be terminated on any of the grounds contained in this provision.

Under Order vii Rule 11, a duty is cast on the Court to determine whether the plaint discloses a cause of action by scrutinizing the averments in the plaint, read in conjunction with the documents relied upon, or whether the suit is barred by any law.

The plea taken in the plaint that they learnt of the alleged fraud in 2014, on receipt of the index of the sale Deed, is wholly misconceived, since the receipt of the index would not constitute the cause of action for filing the suit.

on a reading of the plaint, it is clear that the cause of action arose on the non-payment of the bulk of the sale consideration, which event occurred in the year 2009. The plea taken by the plaintiffs is to create an illusory cause of action, so as to overcome the period of limitation. The plea raised is rejected as being meritless and devoid of any truth.

The omision of the date of executuion if the sale Deed on 02-07-2009 in the prayer clause, was done deliberately and knowledgly, so as to mislead the Court on the issue of limitation.

The delay of over 5 and 1/2 years after the alleged cause of action arose in 2009, shows that the suit was clearly barred by limitation as per Article 59 of the Limitation Act, 1963. The suit was instituted on 15-12-2014, even through the alleged cause of action arose in 2009, when the last cheque was delivered to the plaintiffs.

11/9/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

Reliance is placed on the recent judgement of this Court rendered in Raghuvendra Sharan Singh V/s Ram Prasanna Singh (Deed) By LRs wherein this Court held the suit would be barred by limitation under Article 59 of the Limitation Act, if it was field beyond three years of the execution of the registered deed.

The present suit fieled by the plaintiffs is clearly an abuse of the process of the Court, and bereft of any merit.

The Trial Court has rightly exercised the power under Order vii Rule 11 CPC, by allowing the application filed by Respondent Nos. 2&3, which was affirmed by the High Court.

In view of the aforesaid discussion, the present Civil Appeal is dismissed with costs of Rs. 1,00,000/- payable by the Appellant to Respondent Nos 2 and 3 within a period of twelve weeks from the date of this judgement.

न्यायिक निर्णय सिविल अपील नम्बर 2960/2019 Raghuvendra Sharan Singh V/s Ram Prasanna Singh (Deed) By LRs में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया गया कि It is further submitted by the learned counsel appearing on behalf of the appellanttoriginal defendant that if clever drafting has created the illusion of a cause of action, as observed by this Court in a catena of decisions, the Court must nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 of the CPC. It is further submitted that, therefore, as observed by this Court in the case of T.Arivandandam (supra), an activist judge isthe answer to irresponsible law suits. It is submitted that, in the present case, if the bundle of facts narrated in the plaint and the averments

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

in the plaint, as a whole, are considered, in that case, the suit is not only barred by law of limitation, but it is a vexatious and meritless suit and, therefore, the plaint is required to be rejected in exercise of powers under Rule 7 Order 11 of the CPC.

the plaintiff never disputed the gifr deed and/ or never claimed that the gift deed 06-03-1981 was showy deed of gift. With the aforesaid facts and circumstances, the application submitted by the appellantoriginal defendant to reject the plaint in exercise of powers under Order 7 Rule 11 of the CPC is required to be considered.

Reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, he should exercise his power under Order 7 Rule 11 CPC taking care to see that the ground mentioned therein is fulfailed. And if clever drafting has created the illusion of a cause action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order 10 CPC.

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्णय नजीरो के अतिरिक्त पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पायल चौधरी बनाम केप सिन्हा आईएएस व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 24.07.2025 इत्यादि भी प्रस्तुत किये गये।

विद्धान अभिभाषक वादीगण ने प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषक के तर्को का पुरजोर विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के स्कॉप व परिधी के अर्न्तगत न होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। ऐसे तुच्छ प्रार्थना पत्र में धारा 151 सी0पी0सी0 की शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विद्धान अभिभषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय नजीरे अधिकृत पुस्तको की नहीं है। ऑन लाईन फोटो प्रतियां पेश की गई है जिन पर विश्वास नहीं किया जा सकता और यदि निर्णय नजीरो पर विश्वास किया भी जाता है

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

तो प्रस्तुत निर्णय नजीरे हस्तगत प्रकरण में लागु नहीं होती है, इत्यादि तर्कों के आधार पर प्रार्थना खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर चिन्तन, मनन व विचार किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। वादीगण ने अपने वाद पत्र की मद संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का पुश्तैनी सजरा दर्ज करते हुए कथन किया कि उक्त वर्णित सजरे अनुसार नगजीराम, रामसुख, माधुलाल की मृत्यु हो चुकी है तथा भगतराम पुत्र श्री नगजीराम की भी मृत्यु हो चुकी है । इसी प्रकार अणदीराम, रामप्रसाद की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है तया कन्हैयालाल के वारिसान रामस्वरूप की भी मृत्यु हो चुकी है। गणेशराम, जीवनलाल, गिलूराम की मृत्यु हो चुकी है। रामनिवास पुत्र गिलूराम अपने जीवनकाल के दौरान ही गणेशराम के गोद चले गये। जीवनलाल पुत्र माधुलाल एवं रामराय पुत्र गिलूराम की लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। राजस्व ग्राम गेन्दलिया पटवार हल्का गेन्दलिया तहसील कौटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा में आराजी संख्या 679 रकबा 0.9939 हैक्टयर, आराजी संख्या 679/1 रकबा 0.0432 हेक्टयर, आराजी संख्या 680 रकबा 1.4260 हैक्टयर, आराजी संख्या 681 रकबा 0.7346 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 3.1977 हैक्टयर स्थित है जिसके पूर्व में खाता संख्या 57 थे। जिसे आगे वाद में विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा।

वादपत्र की कलम संख्या 02 में वर्णित आराजिवात वादीगण के पूर्वज नगजीराम, रामसुख एवं माधुलाल जैथलिया की स्थित हो चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजियात में से वादीगण के पूर्वज गणेशराम पुत्र माधूलाल जैथलिया, रामनिवास पुत्र श्री माधूलाल जैथलिया ने भगतराम पिता नगजीराम जैथलिया से 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 28/11/1958 को क्रय की, जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 11/12/1958 को निष्पादित हुई, जिसका इन्तकाल वादीगण के नाम दर्ज हो गया । इस प्रकार विवादित आराजियात में भगतराम पिता नगजीराम का सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा वादीगण के नाम पर राजस्व जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है।

वाद की कलम संख्या 02 में वर्णित विवादित आराजियात में कन्हैयालाल, अणदीराम, रामप्रसाद पुत्र रामसुख जैथलिया, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जैथलिया द्वारा विवादित आराजियात में से अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अर्थात 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30/11/1958 को

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण के मोरूष गणेशराम पुत्र श्री माधवलाल जैथलिया, रामनिवास पिता गिलूराम जेथलिया को विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 06/12/1958 को निष्पादित कि गई । किन्तु ततसमय के राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के नाम नामान्तरण नही खोला गया जबकि विवादित सम्पूर्ण आराजियात वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से हो गई है। इस प्रकार बाद कय सम्पूर्ण विवादित आराजियात वादीगण का ही कब्जा व दखल निरन्तर हो चला आ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का विवादित आराजियात पर कभी कोई किसी प्रकार से कब्जा व दखल नहीं रहा है। कन्हैयालाल, अणदीराम, रामप्रसाद पुत्र रामसुख जेथलिया, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जैथलिया द्वारा विवादित आराजियात में से अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अर्थात 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 06/12/1958 को वादीगण के मोरूष को विक्रय कर दी है। जिसके आधार पर वादीगण उक्त 1/3 हक व हिस्से का स्वामित्व एवं आधिपत्य वादीगण में निहित होता है। किन्तु वर्तमान राजस्व जमाबन्दी के अन्तर्गत रामसुख का नाम ही दर्ज रह गया । इस आधार पर वादीगण रामसुख पुत्र नवलराम जेथलिया के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु वादीगण को विवादित आराजियात में रामसुख पुत्र नवलराम के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इस हेतु यह खातेदारी घोषणा का वाद पत्र प्रस्तुत है। दिनांक 04/02/2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 राजस्व जमाबन्दी के आधार पर विवादित आराजियात पर अन्य भू-माफिया दलालो के साथ विक्रय एवं जबरन कब्जा करने आये तब वादीगण द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर वादीगण को जानकारी हुई कि विवादित आराजियात में तत्समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के नाम खाता दर्ज नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 विवादित आराजियात पर अनाधिकृत एवं अवैध तरीके से कब्जा करना चाहता है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 का विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार नही है। इस हेतु वादीगण को विवादित आराजियात में रामसुख पुत्र नवलराम जौलिया के 1/3 हिस्से के खातेदारी घोषणा के साथ साथ स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 विवादित आराजियात में वादीगण के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी अथवा हस्तक्षेप नहीं करे, करावे तथा न ही विवादित आराजियात को अन्य लोगो को विक्रय, हस्तान्तरण अथवा खुर्द बुर्द करे, करावे। इस हेतु वादीगण का वादपत्र विवादित आराजियात की घोषणा के साथ साथ स्थाई निषेधाज्ञा का भी प्रस्तुत है। कारणवाद वादीगण को प्रतिवादी

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्ध दिनांक 04/01/2024 से उत्पन्न होकर जारी है। प्रतिवादी संख्या 04 तहसीलदार कोटड़ी आवश्यक पक्षकार होने से फोरमल पक्षकार बनाये गये है । उनके विरूद्ध कोई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा गया है। विवादित आराजियात ग्राम गेन्दलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित होने से यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। वाद समयावधि में प्रस्तुत है । वाद निश्चित न्यायालय इस 2/- रू. के स्टाम्प पर प्रस्तुत है । वाद के साथ नियमानुसार डुप्लीकेट एवं शपथ पत्र प्रस्तुत है ।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 इस आशय की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि वादीगण विवादित आराजियात में वादपत्र की कलम संख्या 02 में उल्लेखित विवादित आराजियात में रामसुख पुत्र श्री नवलराम जैथलिया के 1/3 स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जावे की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 सादिर फरमाई जावे। वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान की जावें कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 विवादित आराजियात को किसी भी तरह से विक्रय, खुर्द बुर्द नही करें, करावें तथा वादीगण को अपने हक हिस्से की विवादित आराजियात का सदैवानुसार शांतिपूर्वक उपभोग, उपयोग करने देवें तथा मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 सादिर फरमाई जावे । वाद व्यय अधिवक्ता शुल्क वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 से दिलाया जावें। अन्य कोई उचित अनुतोष जो वादीगण प्राप्त करने का अधिकारी हो वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 से दिलाया जायें।

वाद पत्र में वर्णित तथ्यो एवं वाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन करने से स्पष्ट है कि – राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2074 – 2077 के खाता संख्या नया 302 पुराना 277 में विवादित भूमि कुल खसरे 4 कुल रकबा 3.1977 हैक्टेयर के सह–खातेदार रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल हिस्सा 1/3 जाति महाजन दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने अपने वाद पत्र में उक्त सह–खातेदार रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल की मृत्यु होने का कथन करते हुए उसके वारिसान को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के रूप में पक्षकार संयोजित करते हुए अनुतोष चाहा कि– वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से 03 इस आशय की घोषणात्मक डिकी सादिर फरमाई जावे कि वादीगण विवादित आराजियात में वादपत्र की कलम संख्या 02 में उल्लेखित विवादित आराजियात में

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

रामसुख पुत्र श्री नवलराम जैथलिया के 1/3 स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व जमाबन्दी में दर्ज किया जावे, की घोषणात्मक डिकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 सादिर फरमाई जावे। हमारी सुविचारित राय में वादीगण द्वारा कथित रामसुख पुत्र नवलराम जैथलिया उक्त राजस्व अभिलेख में रिकार्डेड सह-खातेदार दर्ज रिकार्ड नहीं है। वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो से मेल नहीं खाता है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र में इस आशय का कथन किया कि वाद की कलम संख्या 02 में वर्णित विवादित आराजियात में कन्हैयालाल, अणदीराम, रामप्रसाद पुत्र रामसुख जैथलिया, रामस्वरूप पुत्र कन्हैयालाल जैथलिया द्वारा विवादित आराजियात में से अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा अर्थात 04 बीघा 18 बिस्वा भूमि बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30/11/1958 को वादीगण के मोरूष गणेशराम पुत्र श्री माधवलाल जैथलिया, रामनिवास पिता गिलूराम जेथलिया को विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 06/12/1958 को निष्पादित कि गई । किन्तु ततसमय के राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के नाम नामान्तरण नही खोला गया जबकि विवादित सम्पूर्ण आराजियात वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की बजरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से हो गई है। इस प्रकार बाद कय सम्पूर्ण विवादित आराजियात वादीगण का ही कब्जा व दखल निरन्तर हो चला आ रहा है। दिनांक 04/02/2024 को प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 राजस्व जमाबन्दी के आधार पर विवादित आराजियात पर अन्य भू-माफिया दलालो के साथ विक्रय एवं जबरन कब्जा करने आये तब वादीगण द्वारा जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर वादीगण को जानकारी हुई कि विवादित आराजियात में तत्समय राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादीगण के नाम खाता दर्ज नहीं किया। कारणवाद वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्व दिनांक 04/01/2024 से उत्पन्न होकर होकर जारी है। हमारी सुविचारित राय में वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 30/11/1958 को अपना दस्तावेज बताया है और वादीगण को 66 वर्षो तक अपने स्वयं दस्तावेज के बारें में कोई ज्ञान न होना तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदारी प्रविष्टियो का ज्ञान न होना सद्भाविक नहीं है। वाद पत्र में वादीगण ने वादकारण कत्तई गलत, मनगढन्त व बेबुनियाद दर्ज किया है। वादीगण व इनके पूर्वजो द्वारा उक्त विक्रय पत्र दिनांकित 30/11/1958 (06/12/1958) के आधार पर 66 वर्षो तक अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु तात्विक कार्यवाही का कोई कदम नहीं उठाया गया। इस विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद कारण वाद पत्र में अंकित नहीं है। हालांकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की तृतीय अनुसूची में घोषणात्मक वाद के लिए कोई परिसीमा काल निर्धारित

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

नहीं है परन्तु 66 वर्षो तक वादीगण द्वारा अपने अधिकारो के लिए तात्विक कदम नहीं उठाया जाना वाद पत्र में दर्ज वादकारण को प्रभावित करता है। वादीगण का दावा तुच्छ व परेशान करने वाला दावा है। वादीगण नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आये है। वादीगण का दावा क्लेवर ड्राफ्टिंग न होकर बोगस ड्राफ्टिंग की परिभाषा के अर्न्तगत आता है।

विद्धान अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत **न्यायिक दृष्टान्त** डी. एन.जे. 2017 (1) पेज 1 अनन्तपाल बनाम सुमेरसिंह में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 पर सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि शीर्षक प्रकरण में तथ्य एंव विधि का कोई प्रश्न समाहित नहीं है इसलिये वादीगण का **वाद** तुच्छ **एंव परेशान करने वाला है** इस प्रकार के वाद को प्रारम्भ से ही दबा देना चाहिये।

न्यायिक दृष्टान्त सी.जे. 2016 (2) पेज 741 मांगीलाल व अन्य बनाम बोर्ड ऑफ राजस्थान, अजमेर में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि– वादी को तथाकथित बही में की गई प्रविष्टि की जानकारी प्रारम्भ से रही है **परन्तु 66 वर्षो तक अपने अधिकारो की घोषणा करवाने हेतु तात्विक कार्यवाही का कोई कदम नहीं उठाया गया** एंव वाद दायर करने से पूर्व ही विवादित भूमि का विविध विक्रय पत्रो के जरिये बैचान हो चुका और तृतीय पक्ष के अधिकार उत्पन्न व सृजित हो चुके है। माननीय राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 के तहत वाद खारिज करना सही मानकर प्रश्नगत आदेश की पुष्टि की गई है।

न्यायिक दृष्टान्त (1996)5 एस.सी.सी. पेज 589 बउनवानी Loundu Mari David & oth. V/s Louis Chinnay Arogiaswamy & oth. में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09.08. 1996 पारित फरमाया कर यह सिद्धान्त प्रतिपादित फरमाया गया कि– Plantiff seeking equitable relief of specific performance should come before Court with clean hand- Division Bench of High Court finding that plaintiff-petitioner's case was based on certain false and incorrect facts. In other words the party who make false allegations dava not come with clean hands is not entitlled to the equitable relief.

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादीगण के वाद पत्र को इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतएव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम गेन्दलिया, पटवार हल्का गेन्दलिया, तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 679 रकबा 0.9939 हैक्टयर, आराजी संख्या 679/1 रकबा 0.0432 हेक्टयर, आराजी संख्या 680 रकबा 1.4260 हैक्टयर, आराजी संख्या 681 रकबा 0.7346 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 3.1977 हैक्टयर के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एक तुच्छ व परेशान करने वाला दावा होने के कारण तथा वादीगण नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिक्री पर्चा मुर्तिब हो।

निर्णय आज दिनांक 11/3/25 को सरे इजलास में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

11/3/25

अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर
सहायक कले[redacted]ीलवाड़ा

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः– अरूण कुमार जैन (आर.ए.एस.)
राजस्व मूल वाद संख्याः–(29/2024) 472/2025
जीसीएमएस नम्बर :–(2024/01804) 2025/697

1- लादू लाल पुत्र श्री रामनिवास जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
2- मंजु पुत्री श्री रामनारायण जेथलिया पत्नि श्री राजेन्द्र समदानी उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।

----वादीगण

-: बनाम :-

1- जगदीश पुत्र श्री रामस्वरूप जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
2- रमेश पुत्र श्री रामस्वरूप जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
3- बालकिशन पुत्र श्री रामस्वरूप जेथलिया उम्र वयस्क निवासी गेदलिया तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान।
4- राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार, भीलवाड़ा।

---- प्रतिवादीगण

वाद घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कत्तई रूबरू दावा व हाजिरी ------- मिनजानिब मुद्दई रूबरू ---------------- मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

11/9/25
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतएव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण द्वारा राजस्व ग्राम गेन्दलिया, पटवार हल्का गेन्दलिया, तहसील कोटड़ी हाल सवाईपुर, जिला भीलवाड़ा की सरहद में स्थित आराजी संख्या 679 रकबा 0.9939 हैक्टयर, आराजी संख्या 679/1 रकबा 0.0432 हैक्टयर, आराजी संख्या 680 रकबा 1.4260 हैक्टयर, आराजी संख्या 681 रकबा 0.7346 हैक्टयर कुल किता 04 रकबा 3.1977 हैक्टयर के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत दावा अर्न्तगत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा एक तुच्छ व परेशान करने वाला दावा होने के कारण तथा वादीगण नीट एण्ड क्लीन हेण्ड से न्यायालय में नहीं आने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पक्षकारान् खर्चा अपना-अपना वहन करे।

निज------ मुबलिग-------- बाबत् ------ खर्चा इस मुकदमा के मय सूद बशरह------फीसदी सालाना/आज की तारीख से तारीख अदागी तक ------------ को अदा करे।

तब मेरे दस्तखत मुहर अदालत के आज दिनांक 11/9/25 को जारी की गई।

11/9/25
अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	—	—	स्टाम्प अर्जीदावा	—	—
स्टाम्प वकालतनामा	—	—	स्टाम्प वकालतनामा	—	—
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	स्टाम्प वजह सबूत	—	—
महनताना वकील	—	—	महनताना वकील	—	—
खर्चा गवाहान	—	—	खर्चा गवाहान	—	—
फीस कमिशनर बाबत्	—	—	फीस कमिशनर बाबत्	—	—
इजराय	—	—	इजराय	—	—
हुक्मनामा	—	—	हुक्मनामा	—	—
मुतफरिक	—	—	मुतफरिक	—	—
मीजान			मीजान	—	—

11/9/25
अरूण कुमार जैन
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा